अध्याय 3 : लाभार्थियों की पहचान एवं चयन

मकानों की कमी तथा मकानों की वर्तमान उपलब्धता के मध्य के अंतर को संबोधित करने के लिए मकानों की कमी के उचित आकलन तथा लाभार्थियों की पहचान का सर्वोच्च महत्व है।

3.1 जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा मकानों की कमी का आकलन

ग्रामीण आवास पर योजना आयोग के अंतर्गत कार्यदल ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के लिए ग.रे.नी. परिवारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 426.90 लाख मकानों की कमी का आकलन किया था। इसमें से, इं.आ.यो. के अंतर्गत 150 लाख (प्रति वर्ष 30 लाख मकान) मकानों की कमी को पूरा किया जाना था। इसके अतिरिक्त, 2012-13 के लिए 50 लाख मकानों की कमी का आकलन किया गया था। इस प्रकार, कार्यदल ने 2008-13 के लिए इं.आ.यो. के अंतर्गत 170 लाख मकानों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके विरूद्ध, 2008-13 के दौरान मंत्रालय ने निर्माण के लिए 148.25 लाख मकानों का लक्ष्य निर्धारित किया था।

30 लाख मकानों की कमी की वार्षिक औसत को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने गरीबी अनुपात को 25 *प्रतिशत* वेटेज और ग्रामीण आवास की कमी को 75 प्रतिशत वेटेज देते हुए जनपद पंचायत/जिला पंचायत/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (जि.ग्रा.वि.अ.) को केन्द्रीय सहायता आवंटित करता है। मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों तथा किए गए आवंटनों के आधार (इं.आ.यो. दिशानिर्देशों का पैरा 2.1) पर ज.पं./जि.पं./जि.ग्रा.वि.अ. वित्तीय वर्ष के दौरान निर्माण/उन्नत किए जाने वाले मकानों की संख्या निश्चित करती है तथा निराश्रित लाभार्थियों की पहचान करती है। लाभार्थियों की पहचान करने के लिए मकानों की कमी का आकलन करना महत्वपूर्ण था।

हमने पाया कि 14 राज्यों अर्थात् **आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल** और **पंजाब** (तीन जिले) में मकानों की कमी का आकलन नहीं किया गया था। तीन राज्यों अर्थात् **बिहार, मिजोरम तथा ओडीशा** में मकानों की कमी के आकलन से संबंधित विश्वसनीय डाटा/अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। इस पहलू को सात राज्यों अर्थात् **आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर, नागालैण्ड, पंजाब** तथा **पश्चिम बंगाल** के संबंध में 2003 की नि.म.ले.प. के पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 3 में इंगित किया गया था।

जम्मू एवं कश्मीर में, ब्लॉक के पास मकानों की कमी के विवरण उपलब्ध थे लेकिन जिला स्तर पर इसे समेकित नहीं किया गया था। **असम** में, जनगणना 2002 के अनुसार, मकानों की कमी 18.73 लाख थी लेकिन राज्य ने जनगणना 2001 के आधार पर मकानों की कमी का आकलन 22.41 लाख किया था। इस प्रकार, राज्य में मकानों की कमी का आकलन गलत था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2014) कि राज्यों की निधियों का आवंटन करने के लिए, जनगणना परिचालन विभाग द्वारा आकलन की गई मकानों की कमी को ध्यान में रखा जाता था। ब्लॉक/ग्रा.पं. स्तर तथा जिला में भौतिक लक्ष्यों के निर्धारण के लिए इसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता था। हालांकि, लाभार्थियों की पहचान के लिए, प्रत्येक पांच वर्षों के बाद राज्यों द्वारा ग.रे.नी. सर्वेक्षण को संचालित किया जाता था तथा उस सर्वेक्षण के आधार पर ग.रे.नी. सूची/स्थायी इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूची बनायी जाती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2002 के दौरान पिछला सर्वेक्षण संचालित किया गया था जो कि दर्शाता है कि आंकडों को नियमित रूप से अद्यतित नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2011 के दौरान एक सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना को संचालित किया गया था जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाना था।

इस प्रकार, मंत्रालय का उत्तर दर्शाता है कि उसके द्वारा मकानों की कमी पर डाटा पुराना था तथा यथार्थवादी नहीं था।

3.2 स्थायी प्रतीक्षा सूचियों तथा वार्षिक योजनाओं की तैयारी के लिए प्रक्रिया

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 2.1 के अनुसार, मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की सूचना ग्रा.पं. को दी जानी थीं। इस संख्या तक सीमित, प्रत्येक ग्रा.पं. में लाभार्थियों को सूची में वरिष्ठता के क्रम में ग.रे.नी. के आधार पर तैयार की गई स्थाई इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूचियों में से किया जाना था। ग्रा.पं. को ग.रे.नी. सूची में से बेघर परिवारों को, सूची में से सख्ती से रैंकिंग के अनुसार निकालना था। इन श्रेणियो को मकानों के 60 *प्रतिशत* के आवंटन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए बड़ी इं.आ.यो. सूची में से रैंक के क्रम के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा. परिवारों की अलग सूची को निकाली जानी थी। इस प्रकार, किसी भी समय, दो इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूचियां, एक अ.जा./अ.ज.जा. परिवारों के लिए दूसरी गैर अ.जा./अ.ज.जा. परिवारों के लिए उपलब्ध होनी थी। इन सूचियों को कलेक्टर द्वारा नामांकित सरकारी कर्मचारी की उपस्थिति में ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक था। ग्राम सभा द्वारा चयन अंतिम था तथा किसी उच्च प्राधिकरी द्वारा किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी।

इसके अतिरिक्त, इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 4.2 ख (viii) के अनुसार, स्थायी प्रतीक्षा सूची के आनुपालन को, जहाँ तक लाभार्थियों का चयन संबंधित था सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक योजना को भी तैयार किया जाना था।

3.2.1 स्थायी प्रतीक्षा सूचियों को तैयार न किया जाना

तीन राज्यों के चयनित जिलों तथा एक सं.शा.क्षे. अर्थात् **आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मेघालय तथा लक्षद्वीप** में स्थायी प्रतीक्षा सूचियां तैयार नहीं की गई थीं। तीन राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे. अर्थात् **मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह** में अ.जा./अ.ज.जा. तथा गैर अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अलग प्रतीक्षा सूचियां अनुरक्षित नहीं की गई थीं। लेखापरीक्षा ने विभिन्न राज्यों में स्थायी प्रतीक्षा सूचियों को तैयार करने में असमान क्रियाएं तथा लाभार्थियों को

शामिल न किया जाना, नामों का दोहरीकरण तथा सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को अ.जा./अ.ज.जा. सूची में शामिल किया जाना आदि जैसी अनियमितताएं पाईं। विवरण **अनुबंध-3.1** में दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में, जिला लखनऊ के ब्लॉक माल में, ग.रे.नी. सूची में सामान्य श्रेणी के 13 लाभार्थियों को इं.आ.यो. की प्रतीक्षा सूची में अनुसूचित जाति में दर्शाया गया था।

3.2.2 ग्राम सभा का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था

हमने पाया कि दो राज्यों (**उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश**) और **मध्य प्रदेश** के 25 ग्रा.पं. में ग्राम सभा द्वारा स्थायी सूचियां अनुमोदित नहीं की गई थी। तीन राज्यों अर्थात् **कर्नाटक, मिजोरम, ओडिशा** में कलेक्टर द्वारा नामांकित व्यक्ति ग्राम सभा बैठकों में उपस्थित नहीं हुए थे। **कर्नाटक** में, 51 ग्रा.पं. में, बिना ग्राम सभा के अनुमोदन के 7,212 लाभार्थियों का चयन किया गया था।

असम में, दो चयनित जिलों नागॉव एवं सोनितपुर के दो ब्लॉकों के 10 ग्रा.पं. में 1,383 लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की बजाय ग्रा.पं./ब्लॉक/विधायकों द्वारा किया गया था। जिला कचार में ब्लॉक बोरखोला में, ग्राम सभा के अनुमोदन के बिना स्थानीय विधायक द्वारा चयनित 72 लाभार्थियों को ₹34.70 लाख की राशि जारी की गई थी। **हरियाणा** में, ग्राम सभा की बजाय जि.ग्रा.वि.अ. के द्वारा लाभार्थियों का चयन किया गया था। **झारखण्ड** में 18 चयनित ब्लॉकों में से 14 में, 25,424 लाभार्थियों का चयन बिना ग्राम सभा के अनुमोदन के हुआ था और उन्हें ₹92.63 करोड़ की सहायता जारी कर दी गई थी। **कर्नाटक** में, जि.पं. गदाग के तीन ग्रा.पं. में 243 लाभार्थियों का चयन बिना ग्राम सभा के अनुमोदन के किया गया था। **तमिलनाडु** में, तीन चयनित जिलों के तीन ब्लॉकों, तिरूप्पुर (पल्लाडम), त्रिरूचिरापल्ली (तिरूवेराम्बुर) एवं तिरूवन्नामलाई (तिरूवन्नामलाई) में, ग्राम सभा के अनुमोदन के बिना 110 लाभार्थियों का चयन किया गया था जिसमें ₹76.95 लाख का व्यय शामिल था तथा ब्लॉक तिरूवेराम्बुर में, कार्य साधक संख्या के बिना

ग्राम सभा द्वारा 12 लाभार्थियों का चयन किया गया था। **पश्चिम बंगाल** में, जिला मालदा के चयनित ग्रा.पं. में से किसी में भी ग्राम सभा द्वारा स्थायी प्रतीक्षा सूचियां अनुमोदित नहीं की गई थीं और जिला बीरभूम के दो ब्लॉकों (सूरी-II, मयुरेश्वर-II) में छः लाभार्थियों तथा जिला कूच बिहार के दो ग्रा.पं. (बरारंग्रास, खानग्राबारी) में पांच लाभार्थियों को ग्राम सभा के अनुमोदन के बिना क्रमश: ₹2.10 लाख और ₹1.75 लाख के लाभ दिए गए थे।

3.2.3 वार्षिक योजना को तैयार न किया जाना

हमने पाया कि प्रतीक्षा सूचियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक योजना 16 राज्यों और एक सं.शा.क्षे. अर्थात् **असम, छत्तीसगढ़, गोवा,गुजरात, हररियाणा, जम्मू व कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, ओडीशा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड एवं लक्षद्वीप** में तैयार नहीं की गयी थीं। **आन्ध्र प्रदेश** में जबकि आन्ध्र प्रदेश राज्य आवास निगम लिमिटेड (आं.प्र.रा.आ.नि.लि.) ने बताया कि उसने वार्षिक योजना तैयार की थी लेकिन इसे लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। **अरूणाचल प्रदेश** में तीन चयनित जिलों (लोहित, अंजॉ, पपुमपरे) में वार्षिक योजना तैयार नहीं की गई थी। **बिहार** में, भागलपुर एवं मधुबनी जहॉ 2008-13 के दौरान दो और तीन वर्षों (2008-10 के लिए भागलपुर, तथा 2010-13 के लिए मधुबनी) के लिए अधूरे वार्षिक योजनाए तैयार की गई थी को छोडकर किसी भी चयनीत जिले में वार्षिक योजना तैयार नहीं की गई थी। **महाराष्ट्र** में गोंडिया जिले में, वार्षिक योजना तैयार नहीं की गई थी। इस प्रकार, इन राज्यों/जिलों में इस कार्यक्रम को अनियोजित तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा था।

3.3 लाभार्थी का चयन

3.3.1 निर्दिष्ट श्रेणियों के लाभार्थियों के चयन में कमी

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 1.5 के अनुसार, इं.आ.यो. संसाधनों का 60 *प्रतिशत* अ.जा./अ.ज.जा. लाभार्थियों के लिए तथा गैर अ.जा./अ.ज.जा. ग.रे.नी. के परिवारों के लिए 40 *प्रतिशत* चिन्हित किया जाना था। इसका तात्पर्य है कि अ.जा./अ.ज.जा. लाभार्थियों का चयन कुल भौतिक लक्ष्यों का 60 *प्रतिशत* होना चाहिए और गैर-अ.जा/अ.ज.जा. के लिए कुल भौतिक लक्ष्यों का 40 *प्रतिशत* होना चाहिए इसके अतिरिक्त, ग.रे.नी. अल्पसंख्यकों के लिए 15 *प्रतिशत* भौतिक लक्ष्य तथा शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए उपरोक्त श्रेणियों का तीन *प्रतिशत* चिन्हित किया जाना था।

हमने पाया कि इं.आ.यो. के अंतर्गत 2008-09 से 2012-13 के दौरान 166.88 लाख संस्वीकृत मकानों में से अ.जा./अ.ज.जा. लाभार्थियों के लिए केवल 55 *प्रतिशत* (92.35 लाख) मकानों को संस्वीकृत किया गया था तथा अल्पसंख्यकों को 12 प्रतिशत (21.56 लाख) अनुमोदित किया गया था जैसा कि **चार्ट-7** में दर्शाया गया है।

चार्ट-7: अ.जा./अ.ज.जा. तथा अल्पसंख्यकों को संस्वीकृत इं.आ.यो. के मकान

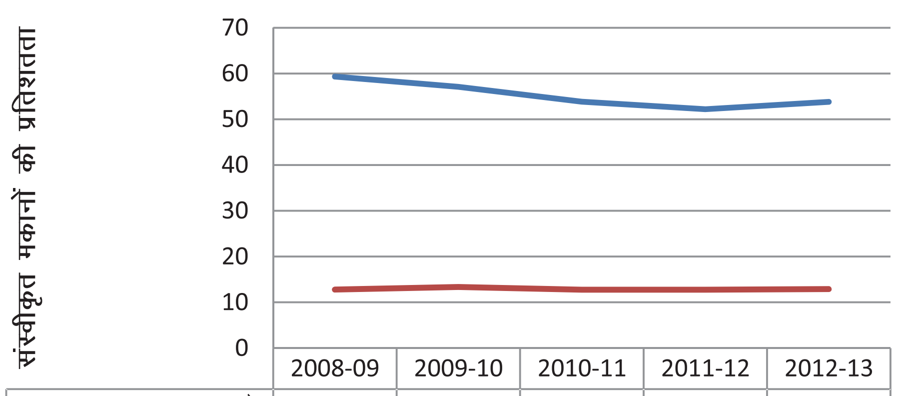

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
अ.ज./अ.ज.जा. को संस्वीकृत मकान (%)	59.34	57.1	53.84	52.21	53.82
अल्पसंख्यक को संस्वीकृत मकान (%)	12.77	13.35	12.73	12.73	12.88

इसके अतिरिक्त, 13 राज्यों में निर्दिष्ट श्रेणियों में से लाभार्थियों का चयन इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार नहीं था जिसका विवरण **अनुबंध 3.2** में दिया गया है। लाभार्थियों के चयन में कुछ अन्य मुद्दे पाए गए थे जो कि निम्नलिखित हैं:-

- **उत्तराखण्ड** में, चार चयनित जिलों में 131 लाभार्थियों की श्रेणी को सामान्य से अ.जा./अ.ज.जा. में परिवर्तित कर दिया गया था तथा 43 लाभार्थियों की श्रेणी को अ.जा./अ.ज.जा. से सामान्य में परिवर्तित कर दिया गया था। तथ्यों को जिला प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किया गया था जिसने बताया कि मामले को देखा जा रहा है।

- **राजस्थान** में, जिला भीलवाड़ा, करौली, सीकर एवं उदयपुर के जि.ग्रा.वि.अ. ने बताया कि इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूचियों में अल्पसंख्यकों से संबंधित कोई लंबमानता नहीं थी जबकि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार अल्पसंख्यकों के लाभार्थियों की 46, 165, 10 एवं 122 संख्या लंबित थी। इस प्रकार, जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की सच्चाई संदेहपूर्ण थी।

- **नागालैण्ड** में, यद्धपि 2,051 शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आवृत्त बताया गया था। लेखापरीक्षा के समक्ष 695 लाभर्थियों के साथ हुए साक्षात्कार के दौरान इस श्रेणी का कोई भी लाभार्थी सामने नहीं आया था। शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की इतनी अधिक संख्या का आवृतन अवास्तविक लगा था। विभाग ने स्वीकार किया (अगस्त 2013) कि इं.आ.यो. के लिए लक्ष्य निर्धारित करते समय इस श्रेणी के लाभार्थियों को पहचाना नहीं गया था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2014) कि इन श्रेणियों के लिए आवास की कमी समाप्त की जा रही थी। मंत्रालय ने आगे बताया कि कई राज्यों में, अल्पसंख्यक

परिवारों की बहुत कम संख्या है जबकि **मेघालय, मिजोरम** एवं **नागालैण्ड** में कोई अल्पसंख्यक जनसंख्या नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर सामान्य था तथा लेखापरीक्षा द्वारा पाई गई राज्य विर्निदिष्ट अनियमितताओं की व्याख्या नहीं करता। चूंकि अल्पसंख्यकों की संख्या प्रत्येक राज्य में भिन्न होती है सभी राज्यों के लिए सामान्य दिशानिर्देश होने की उपयुक्तता प्रश्न योग्य है।

3.3.2 गैर- ग.रे.नी. के लाभार्थियों का चयन

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 1.4 के अनुसार, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे रक्षा सेवाओं/अर्धसैनिक के ड्यूटी पर मारे गए सेनाबलों के परिवारों/कर्मियों की विधवाओं को छोडकर गरीबी रेखा से नीचे (ग.रे.नी.) के परिवार इं.आ.यो. के अंतर्गत लक्ष्य समूह थे। हमने पाया कि 12 राज्यों के 34 चयनित जिलों में 67 ब्लॉंकों के 670 ग्रा.पं. में ₹89.15 करोड़ की सहायता 36,751 गैर - ग.रे.नी. के परिवार जो कि रक्षा सेवाओं/अर्धसैनिक बलों से संबंधित नहीं थे को दी गई थीं। **अनुबंध 3.3** में इसके विवरण दिए गए हैं। अन्य अनियमितताएं जिनकी चर्चा निम्न वर्णित है:-

- **केरल** में, लाभार्थियों का चयन बेघर परिवारों की ऐसी सूची में से हुआ था जो कि अन्य राज्य आवास योजना के लिए तैयार की गई थी अर्थात् 2008-09 में शुरू की गई इलमकुलम मनक्कल संकर्न (इं.म.सं.) आवास योजना जिसमें ग.रे.नी. तथा गैर-ग.रे.नी. दोनों से संबंधित बेघर परिवार शामिल थे।
- **ओडीशा** में, जिला गंजम में, 118 लाभार्थी ग.रे.नी. कार्ड धारकों के रिश्तेदार थे तथा इन रिश्तेदारो के ग.रे.नी. कार्डों के आधार पर उनके लिए ₹34.97 लाख की इं.आ.यो. सहायता जारी कर दी गई थी।
- **गोवा** में, ग.रे.नी. सूची-2002 के अनुसार केवल 1,188 लाभार्थी थे जबकि 12,255 व्यक्तियों का चयन नए मकानों के निर्माण के लिए किया गया था। और ग.रे.नी. सूची-2002 के अनुसार कच्चे मकानों वाले 3,917 लाभार्थी थे परंतु, 4,713 व्यक्तियों का चयन मकानों में सुधार के लिए किया गया था।

- **असम** में, दो जिलों (कार्बी अंगलोंग, बरपेटा) में, 680 ग.रे.नी. व्यक्ति थे लेकिन इन ग.रे.नी. कार्डों के प्रति 1,376 लाभार्थियों का चयन किया गया था।
- **आन्ध्र प्रदेश** में, इं.आ.यो. दिशानिर्देशों जो कि केवल ग्रामीण परिवारों के आवृतन की अनुमति देता है, के प्रावधानों के उल्लंघन में शहरी क्षेत्रों में 164 लाभार्थियों को इं.आ.यो. निधियों से लाभ हुआ था। उन्हें ₹40.67 लाख की राशि का भुगतान किया गया था।

झारखंड का मामला अध्ययन

दो जिलों के पांच ब्लॉकों रांची (रातु, मंदार, नागरी) तथा देवघर (देवघर सदर, मधुपुर) में, ग.रे.नी. सूची में '0' अंक वाले 50 लाभार्थियों का चयन किया गया था और उन्हें ₹17.79 लाख का भुगतान किया था। हमने पाया कि चयनित लाभार्थियों के पास मकानों के निर्माण हेतु अपनी भूमि थी जबकि मानदंडों के अनुसार '0' अंक वाले लाभार्थियों के पास भूमि का कब्जा नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, तीन जिलों अर्थात गोड्डा, पूर्व सिंघभूम एवं रांची में, गलत ग.रे.नी. प.प. के प्रति 474 लाभार्थियों को ₹1.29 करोड की सहायता दी गई थी और चार जिलों देवघर, पूर्व सिंहभूम, गढ़वा तथा गोड्डा में बिना ग.रे.नी. प.प. के ही 485 लाभार्थियों को ₹1.01 करोड की सहायता मिली थी। इस प्रकार, ग.रे.नी. सूची की यथार्थता संदेहपूर्ण थी।

3.3.3 अयोग्य लाभार्थियों का चयन

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 1.4 के अनुसार, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे ड्यूटी पर मारे गए रक्षा सेवाओं/अर्धसेना के बल के परिवार/विधवाओं को छोड़कर बेघर ग.रे.नी. परिवार इं.आ.यो. के अंतर्गत योग्य लाभार्थी हैं। हमने पाया कि 11 राज्यों में 10,184 अयोग्य लाभार्थियों का चयन किया गया था और उन्हें ₹ 31.73 करोड़ का भुगतान किया गया था जिसका विवरण नीचे **तालिका -2** में दिया गया है:

तालिका:2 अयोग्य लाभार्थियों को भुगतान

क्र.सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.	लाभार्थी	राशि (₹लाख में)	टिप्पणी
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	2	2	21	6.94	आन्ध्र प्रदेश राज्य आवास निगम लिमिटेड (आ.प्र.रा.आ.नि.लि.) के परियोजना निदेशक द्वारा समेकित सर्वेक्षण दल की रिपोर्टों के आधार पर अयोग्य घोषित किये जाने के बावजूद 21 लाभार्थियों को भुगतान किया गया था।
2.	गोवा	1	2	12	959	334	संपन्न परिवारों को पुर्ननिर्माण अनुदान दिया गया था।
3.	गुजरात	1	2	उ.न.	870	391.50	ग.रे.नी. में 17 से 20 अंक वाले लाभार्थियों को सहायता दी गई थी।
4.	हरियाणा	5	10	129	470	174.00	गलत सूचना प्रदान करके अयोग्य व्यक्तियों को ग.रे.नी. कार्ड मिले।
		3	3	--	15	5.45	उन व्यक्तियों को भुगतान किए गए जो कि राज्य आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी थे।
5.	जम्मू एवं कश्मीर	2	2	2	12	3.58	लाभार्थी शहरी क्षेत्रों से थे।
		5	9	--	1154	338.10	लाभार्थियों के पास पहले से ही पक्के/अर्ध पक्के मकान थे।
		6	12	--	6423	1779.55	गैर-ग.रे.नी. लाभार्थियों को भुगतान।
6.	झारखण्ड	1	1	4	5	1.45	दो लाभार्थियों को पहले भी मकान आवंटित किए गए थे और तीन लाभार्थियों का गलत तरीके से चयन हुआ था।
7.	मध्य प्रदेश	1	1	--	7	1.00	अयोग्य व्यक्तियों को भुगतान
8.	पंजाब	1	1	--	9	3.15	अयोग्य व्यक्तियों को भुगतान
9.	राजस्थान	2	5	--	77	21.26	अयोग्य व्यक्तियों को भुगतान
10.	तमिलनाडु	3	6	22	129	102.20	लाभार्थियों के अंक 17 से अधिक थे।
11.	उत्तर प्रदेश	2	2	--	33	11.14	जिला गोंडा के अम्बेडकर गॉव खिरोरा शाहबाजपुर (ब्लॉक इतियाथोक) में, 25 अयोग्य

							व्यक्तियों को ₹8.44 लाख का भुगतान किया गया था जोकि जुलाई 2013 तक वसूल नहीं किया जा सका था। जिला रामपुर के ब्लाँक मिलाक के गॉव पुरानिया खुर्द में आठ अयोग्य व्यक्तियों को 2011-12 में ₹2.70 लाख का भुगतान किया गया था। जुलाई 2013 तक दानों मामलों में वसूली लंबित थी।
12.	कुल	**35**	58		**10,184**	**3,173.32**	

राजस्थान के तीन चयनित जिलों में, ऐसे 541 लाभार्थियों को ₹1.22 करोड़ की प्रथम किस्ते जारी कर दी गई थी, (2011-12 के दौरान जिला बूंदी में 363 लाभार्थियों को ₹82.00 लाख, 2008-12 के दौरान जिला सिकर में 153 लाभार्थियों को ₹34.00 लाख और जिला श्रीगंगानगर में 25 लाभार्थियों को ₹6.00 लाख) जिन्होंने अपने मकानों के निर्माण कार्य शुरू नहीं किया था। हमने पाया कि जिला बूंदी में 363 लाभार्थियों ने उन्हें जारी किए गए ₹82.00 लाख की वित्तीय सहायता का गलत उपयोग किया था। यह एक विभागीय सर्वेक्षण में प्रमाणित हुआ था तथा विभाग ने वित्तीय सहायता की वसूली हेतु प्र.सू.रि. दर्ज करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी थी।

महाराष्ट्र मामला अध्ययन:- इं.आ.यो. के अंतर्गत नाबालिग को एक मकान आवंटित कर दिया गया था

जिला अहमदनगर, ब्लॉक अकोल में ग्रा.पं. पैठन में, 11 वर्ष की आयु के एक नाबालिग को एक रिहायशी इकाई आवंटित की गई थी और उसे ₹68,045 की सहायता का भुगतान किया गया था। उसके माता-पिता के जीवित होने के बावजूद ग.रे.नी. सूची 2002 में जब उसकी उम्र लगभग तीन वर्ष की थी, में से तैयार स्थायी इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूची में नाबालिग का नाम परिवार के मुखिया के रूप में दर्शाया गया था।

Aadhar card of Minor IAY Beneficiary

अयोग्य लाभार्थियों को दी गई वित्तीय सहायता के नमूना तस्वीरें (दक्षिण गोवा जिले में एक ग.रे.नी. परिवार के दो सदस्य

अपने मौजूदा मकान के सामने श्रीमती 'एक्स' एवं श्रीमती 'वाई'

श्रीमती 'एक्स' का नया मकान

श्रीमती 'वाई' का निर्माणधीन नया मकान

मामला अध्ययन: कर्नाटक

(i) अयोग्य व्यक्तियों को दी गई सहायता

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के अनुसार, घरों के सुधार क्षेत्र 20 वर्ग मीटर से कम नही होना चाहिए। हमने पाया कि लाभार्थी को प्रदत्त संस्वीकृति आदेश निर्धारित करता था कि घर का आकार 40 वर्ग मीटर होना चाहिए, यद्यपि इं.आ.यो. दिशानिर्देश में घर की ऊपरी सीमा का उल्लेख नहीं था।

संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान, 76 मामलों में, यह पाया गया था कि 70 से 120 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र के मध्य में विशाल घर बनाये गये थे जैसा कि निम्न चित्र में देखा जा सकता है। निर्माण की गुणवत्ता, जो इन चित्रों से प्रमाणित होता है कि निर्माण की लागत ₹ 5.00 लाख के नीचे की श्रेणी अंतर्गत नहीं आएगी। अत: लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से नहीं आते थे और इस तरह इं.आ.यो. के अंतर्गत सहायता के हकदार नहीं थे।

हेब्बदी गाँव, मेलापुरा ग्रा.पं., एस.आर.पट्टन टी.पी. मंड्या जि.पं. में इं.आ.यो. घर

मंचनयकनहल्ली ग्रा.पं., रामनगर टी.पी., रामनगर जि.पं. में इं.आ.यो. घर

(ii) निर्मित घरों के विस्तार हेतु प्रयुक्त सहायता

इं.आ.यो. दिशानिर्देश के अनुसार, घरों के निर्माण और रहने के लिए अयोग्य कच्चे घरों के सुधार के लिए सहायता दी जानी थी। मुक्त बंधुआ मजदूरों के संदर्भ में, अ.जा./अ.ज.जा. परिवारों, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों आदि को सहायता प्रदान की जाएगी। दिशानिर्देश के विपरीत, उन परिवारों को सहायता दी गयी जिनके पास पहले से ही रहने योग्य घर थे। 45 नमूना परीक्षित ग्रा.पं. में, हमने लाभार्थियों के स्वामित्व में मौजूद घरों के विस्तार के रूप में निर्मित घरों के 89 मामले देखे थे जैसा निम्न चित्र में देखा जा सकता है। अत: इन लाभार्थियों को प्रदान की गयी सहायता दिशानिर्दिशों के उल्लंघन में थी।

बेनगहल्ली ग्रा.पं., चन्नपटन टी.पी., रामनगर जि.पं. में इं.आ.यो. घर

3.3.4 प्रतीक्षा सूची से बाहर के लाभार्थी का चयन

इ.आ.यो. दिशानिर्देश के पैरा 2.1 के अनुसार लाभार्थियों का चयन स्थायी इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूची से वरीयता के क्रम में होना था। हमने पाया कि:-

i) **असम** में, चार चयनित जिलों के 28 ब्लॉकों में, 10,694 लाभार्थियों का चयन स्थाई इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूची से बाहर से किया गया था और घरों के निर्माण हेतु इं.आ.यो. के अंतर्गत ₹ 40.01 करोड़ की सहायता प्रदान की गयी थी;

ii) **मणिपुर** में, चार चयनित जिलों के सात ब्लॉकों में ₹9.87 करोड़ के लाभ प्रतीक्षा सूची से बाहर के 3,118 लाभार्थियों को प्रदान किये गये थे;

iii) **मिजोरम** में, दो चयनित जिलों के अंतर्गत 25 गॉवों में, 398 लाभार्थियों में से 53 लाभार्थियों का प्रतीक्षा सूची के बाहर से चयन किया गया था और घरों के निर्माण हेतु ₹23.71 लाख की सहायता दी गयी थी;

iv) **ओडिशा** में, गंजम जिले के तीन ब्लॉक में, ₹88.60 लाख का सहायता व्यय करते हुए 314 लाभार्थियों का चयन प्रतीक्षा सूची से बाहर से किया गया था;

v) **उत्तर प्रदेश** में, चार चयनित जिलों के 17 ब्लॉकों में प्रतीक्षा सूची से बाहर के 19,131 लाभार्थियों को ₹86.05 करोड़ की सहायता प्रदान की गयी थी।

vi) **उत्तराखण्ड** में हरिद्वार जिले में, प्रतीक्षा सूची के बाहर से 156 लाभार्थियों का चयन किया गया और ₹72.93 लाख की सहायता प्रदान की गयी थी;

vii) **पश्चिम बंगाल** में, चयनित जिलों के तीन ग्रा.पं.[1] में, ₹23.70 लाख राशि का इं.आ.यो. का लाभ 70 लाभार्थियों को दिया गया था जो प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं थे पर उनके नाम कूच बिहार (4 लाभार्थी, ₹1.23 लाख), मालदा (दो लाभार्थी, ₹0.60 लाख) एवं बीरभूम (64 लाभार्थी, ₹21.87 लाख) के ग्रा.पं. द्वारा अनुमोदित थे।

3.3.5 प्रतीक्षा सूची में वरीयता की उपेक्षा करते हुए लाभार्थियों का चयन

इं.आ.यो. दिशानिर्देश के पैरा 2.1 के अनुसार, लाभार्थियों का चयन स्थायी इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूची से वरीयता के क्रम में किया जाना था। हमने देखा कि नौ राज्यों एवं एक सं.शा.क्षे. के 29 जिलों में 47 ब्लॉकों के 236 ग्रा.पं. में, 4,796 लाभार्थियों का चयन **अनुबंध -3.4** में दिये गये ब्यौरे के अनुसार प्रतीक्षा सूची में वरीयता को अनदेखा करते हुए किया गया था। **असम** में, चयनित दो जिलों (नगांव, सोनितपुर) में, स्थायी इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूची में 1,083 लाभार्थी पहचान पत्रों के प्रति 2,235 लाभार्थियों को चयनित किया गया था।

उत्तर प्रदेश में, आठ चयनित जिलों में, जि.ग्रा.वि.अ. ने मंत्रालय से प्राप्त कुल लक्ष्यों में से राज्य सरकार द्वारा चिन्हित अम्बेडकर एवं लोहिया ग्रामों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लक्ष्यों को चिन्हित किया। इन गॉवों में 17,752 गरीबी

---

[1] शल्वरी-।। (कूच बिहार), सियान-मुलुक (बीरभूम), मशलदा (मालदा)

रेखा से नीचे के बेघर परिवारों को ₹72.06 करोड़ की सहायता इं.आ.यो. के अंतर्गत प्रदान की गयी थी, जो प्रतीक्षा सूची में उनकी वरीयता की संगति में नहीं थी। अत: राज्य सरकार ने इं.आ.यो. निधि से प्रतीक्षा सूची में वरीयता निर्धारित किये बगैर अपनी योजना का निष्पादन किया था।

छत्तीसगढ़ में, सरगुजा जिले के नर्मदापुर ग्रा.प. में, गरीबी रेखा से नीचे के 22 परिवारों को, जो प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं थे, 2009-10 के दौरान ₹7.70 लाख की सहायता प्रदान की गयी थी।

3.3.6 पक्के घर वाले लाभार्थियों का चयन

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के अनुसार, लाभार्थियों का चयन ग्राम पंचायतों द्वारा ग.रे.नी. प्रतीक्षा सूची की सहायता से तैयार की गयी आश्रयहीनों के लिए स्थायी इं.आ.यो. प्रतीक्षा सूची से किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि आठ राज्यों के चयनित 24 जिलां में 39 ब्लॉकों के 365 ग्रा.पं. में, पक्के घरों वाले 1,654 लाभार्थियों का चयन किया गया था और उन्हें ₹5.36 करोड़ की सहायता प्रदान की गयी थी विवरण **तालिका-3** में दिए गए हैं।

तालिका: 3 पक्के घरों वाले लाभार्थियों को भुगतान

क्र.सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.	लाभार्थियों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1.	बिहार	4	8	22	128	46.52
2.	हरियाणा	6	8	21	40	15.88
3.	जम्मू एवं कश्मीर	5	9	288	1,154	338.10
4.	कर्नाटक	4	7	23	288	117.66
5.	राजस्थान	1	1	2	4	1.71
6.	उत्तर प्रदेश	2	3	4	22	9.90
7.	उत्तराखण्ड	1	2	4	10	4.41
8.	पश्चिम बंगाल	1	1	1	8	2.80
	योग	**24**	**39**	**365**	**1,654**	**536.98**

एक लाभार्थी (ग.रे.नी.प.प: 4323), देहरादून, उत्तराखंड के पक्के मकान का नमूना चित्र जिसे कि वर्ष 2011-12 के दौरान इं.आ.यो. का मकान संस्वीकृत किया गया था।

एक लाभार्थी (ग.रे.नी.प.प: 292), देहरादून, उत्तराखंड के पक्के मकान का नमूना चित्र, जिसे वर्ष 2011-12 के दौरान इं.आ.यो. का मकान संस्वीकृत किया गया था।

3.3.7 लाभार्थियों हेतु सहायता

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 3.1 के अनुसार, कच्चे घरों हेतु अनुमेय सहायता प्रति इकाई लागत के अनुदान की सीमा ₹15,000 थी। हमने देखा कि नये निर्माण हेतु निर्धारित दर की वृद्धि के लिए (₹35,000 या ₹45,000) सहायता प्रदान की गयी थी। राज्य वार विवरण नीचे दिए गए हैं:-

- **बिहार** में, सुपौल जिले के प्रतापगंज ब्लॉक में, कच्चे घरों वाले 25 लाभार्थियों को नये घरों के निर्माण हेतु इं.आ.यो. के अंतर्गत ₹10.85 लाख की सहायता प्रदान की गयी थी।
- **जम्मू एवं कश्मीर** में, चयनित 11 (12 में से) ब्लॉकों में कच्चे घरों वाले 9,831 लाभार्थियों में से 3,764 को नये घरों के निर्माण हेतु इं.आ.यो. के अंतर्गत ₹6.96 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी थी।

मंत्रालय ने बताया कि यह आवश्यक नहीं है कि कच्चे घरों वाले लाभार्थी को उन्नयन के लिए सहायता मिले और यह लाभार्थी पर निर्भर करता है कि वह मौजूदा कच्चे घर का उन्नयन करे या मौजूदा घर को गिराकर एक नया घर बनाये और इसी के अनुसार इं.आ.यो. के अंतर्गत वित्तीय सहायता दी गयी थी।

मंत्रालय का उत्तर उनके द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं था।

3.3.8 एक से अधिक बार लाभार्थियों का चयन

हमने देखा कि आठ राज्यों के 30 चयनित जिलों में 141 ब्लॉकों के अंतर्गत 700 ग्रा.पं. में, 5,824 लाभार्थियों का चयन एक से अधिक बार हुआ था और **तालिका-4** में निम्न विवरण के अनुसार उन्हें ₹14.67 करोड़ का भुगतान किया गया था।

तालिका-4: एक से अधिक बार एक ही लाभार्थी को भुगतान

क्र.सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.	लाभार्थी	राशि (₹ लाख में)	टिप्पणी
1	आन्ध्र प्रदेश	2	76	272	4,809	1,106.82	967 लाभार्थियों को दुबारा/तिबारा चयनित किया गया और उनको ₹2.58 करोड़ का भुगतान किया गया था; पर उनसे कोई वसूली नहीं की गयी। {करीमनगर (102), ₹28.22 लाख एवं खम्मम (865), ₹229.94 लाख} खम्मम में 3,842 लाभार्थियों को एक से अधिक घर एक ही राशन कार्ड पर दिये गये थे जिस पर ₹8.49 करोड़ की वित्तीय हानि हुई।
2	असम	4	28	248	513	194.18	कार्बी अंगलोंग, नगांव, बर्पेटा एवं सोनितपुर जिलों में, 513 लाभार्थियों का चयन दुबारा या तो उसी वर्ष किया उसके बाद आने वाले वर्ष में किया गया और उन्हें ₹194.18 लाख का भुगतान किया गया था। इसके अलावा कोकराझार जिले में 87 मामले दोबारा आवंटन के पाए गए जिसमें देबीतोला (52) एवं कचुगांव (35) के मामले थे।
3	जम्मू एवं कश्मीर	5	7	19	20	5.60	सात चयनित ब्लॉकों में 20 मामले में घरों के निर्माण हेतु सहायता एक ही लाभार्थी को दो बार दी गयी थी जो ₹5.60 लाख के अतिरिक्त भुगतान में परिणत हुआ।
4	झारखण्ड	6	12	44	134	43.06	134 लाभार्थियों को 279 घर आवंटित हुए थे, जिसके कारणवश ₹43.06 लाख के खर्च पर 145 अतिरिक्त घरों के जालसाजी पूर्ण आवंटन हुआ।
5	कर्नाटक	4	4	5	6	2.55	पाँच[2] ग्रा.पं, छ: लाभार्थियों को ₹2.55 लाख की सहायता दुबारा दी गयी थी।
6	मणिपुर	4	8	69	243	77.61	243 लाभार्थियों को चार चयनित जिलों में दुबारा/तिबारा सहायता प्राप्त हुई थी।

[2] नेम्मारू (चिकमगलूर जेड.पी.), येलीवाला तथा हीरेनथी (धारवाड़ जि.प.), में मारालाहल्ली (कोप्पल जि.पं.), हरोकप्पा (रामनगर जि.प.)

7	उत्तर प्रदेश	3	3	23	59	22.95	तीन जिलों वाराणसी, महाराजगंज एवं फतेहपुर में 57 पहचान पत्र संख्याओं के प्रति लाभार्थियों को 116 घर आवंटित किये गये थे।
8	उत्तराखण्ड	2	3	20	40	14.54	देहरादून जिले के दो चयनित ब्लॉकों सहासपुर, एवं रायपुर में 77 लाभार्थियों का चयन 38 ग.रे.नी.- प.प के प्रति हुआ था। एवं ₹14.19 लाख की सहायता 39 लाभार्थियों को प्रदान की गयी थी। सहासपुर में एक ग.रे.नी.प.प. के प्रति तीन लाभार्थियों का चयन हुआ था। इसके अतिरिक्त टिहरी जिले के देवप्रयाग ब्लॉक में एक लाभार्थी को ₹35,000 की सहायता दी गयी थी।
	कुल	**30**	**141**	**700**	**5,824**	**1,467.31**	

इस प्रकार, मकानों की कमियों के उचित आकलन के बिना इं.आ.यो. को कार्यान्वित किया गया था तथा मकानों के आवंटन में पारदर्शिता का अभाव था जैसे कि ऊपर चर्चा की गयी है।

3.4 घरों का आवंटन

3.4.1 महिला सदस्यों को घरों के आवंटन में प्राथमिकता नहीं देना

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 2.4 के अनुसार, रिहायसी इकाईयों का आवंटन लाभार्थी परिवार के महिला सदस्य के नाम से होना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, इसे पति एवं पत्नी दोनों के नाम से आवंटित किया जा सकता है। तथापि, यदि परिवार में कोई योग्य महिला सदस्य मौजूद/जीवित नहीं हो, किसी पात्र ग.रे.नी. परिवार के पुरूष सदस्य को घर का आवंटन किया जा सकता है। 2005-06 में, भारत सरकार ने पहली बार लिंग आधारित बजट की शुरूआत की थी जिसमें विभिन्न योजनाओं का स्त्रियों को लाभ पहुंचाने में अहमियत को सामने रखा गया था। हमने पाया कि इं.आ.यो. हेतु संपूर्ण आवंटनों को लिंग आधारित बजट में शामिल किया गया था, प्रत्यक्षत: इसलिए क्योंकि इं.आ.यो. के अंतर्गत निर्मित घरों को महिला सदस्यों के नाम से पंजीकृत किया जाना था।

हमने पाया कि 166.88 लाख घरों की संस्वीकृति में से इं.आ.यो. के अंतर्गत 2008-09 से 2012-13 के दौरान केवल 61 *प्रतिशत* (101.15 लाख) मकान महिलाओं के नाम पर संस्वीकृत हुए और 13 *प्रतिशत* (22.07 लाख) परिवार के पुरूष सदस्यों के नाम पर संस्वीकृत हुए थे। पति एवं पत्नी दोनों के नाम पर संस्वीकृत घर 26 प्रतिशत (43.66 लाख) थे।

इसके अतिरिक्त, छः राज्यों में रिहायशी इकाइयों का परिवार के महिला सदस्यों के नाम पर आवंटन को प्राथमिकता नहीं दी गयी थी और 50 से 100 *प्रतिशत* मामलों में पुरूष सदस्यों को प्राथमिकता दी गयी थी एवं आठ राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे. में परिवार के महिला सदस्यों के नाम से रिहायसी इकाइयों के आवंटन को 54 से 99 प्रतिशत मामलों में प्राथमिकता दी गयी थी, जिसका विवरण **अनुबंध-3.5** में है। कई राज्यों में, परिवार में योग्य महिला सदस्य की उपस्थिति के बावजूद मकानों को महिला सदस्यों के नाम पर आवंटित नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून/जुलाई 2014) कि 80 *प्रतिशत* से अधिक घरों को महिलाओं के नाम से या पति एवं पत्नी दोनों के संयुक्त नाम से आवंटित किया गया था और 2012-13 के दौरान 28.34 लाख संस्वीकृत घरों में से, 24.66 लाख घरों को महिला के नाम या पति एवं पत्नी के संयुक्त नाम पर संस्वीकृति दी गयी थी। मंत्रालय ने आगे बताया कि संशोधित दिशानिर्देशों में विधवा/अविवाहित/अलग हुए व्यक्ति के मामलों को छोडकर पति और पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से आवंटन किया जा सकता था।

तथापि, मंत्रालय का उत्तर कि महिला के नाम पर या परिवारों में पति और पत्नी के संयुक्त नाम पर 80 *प्रतिशत* से अधिक के मकानों को आवंटित किया गया था जैसा कि लेखापरीक्षा में प्रमाणित हुआ था जो केवल उत्तराखंड से संबंधित थी, तथा कई मामलों में विभिन्न मामलों में महिला को आवंटन के समर्थन में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के उत्तर में, जैसा कि 15 राज्यों/सं.शा.क्षे. के मामले में महिला सदस्यों की घरों के आवंटन के प्रावधानों की गैर-अनुपालना हेतु विस्तृत कारण प्रदान नहीं किए गए थे, **(अनुबन्ध 3.5)** लिंग आधारित बजट के अंतर्गत इं.आ.यो. के लिए पूरे आवंटन को रखने से मंत्रालय की यह सुनिश्चित करने की प्रतिबध्दता बन जाती है कि इं.आ.यो. आवंटन महिलाओं को मजबूत बनाता है जो तभी संभव है यदि घरों के आवंटन विशेष रूप से महिला सदस्यों के नाम से ही किये जाते।

3.4.2 घरों के आवंटन में अन्य अनियमितताएं

विभिन्न प्रकृति की अनियमितताएं भी घरों के आवंटन में देखी गयीं थीं जो निम्नानुसार हैं:-

- पांच राज्यों के 11 चयनित जिलों में 33 ब्लॉकों के 94 ग्रा.पं. में, राज्य विकास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले 126 लाभार्थियों को इं.आ.यो के अंतर्गत ₹46.93 लाख की सहायता प्रदान की गई थी जिसके विवरण **अनुबंध-3.6** में दिये गये हैं।
- **तमिलनाडु** में तिरूचिरापल्ली के चयनित तीन ब्लॉकों[3] में 37 ग्राम पंचायतों में 664 लाभार्थियों में से 144 चयन राज्य योजना (100 *प्रतिशत* राज्य द्वारा वित्तपोषित) के अंतर्गत किया गया था और राज्य योजना के अंतर्गत आधारभूत चरण समाप्त करने के पश्चात, "नये निर्माण" श्रेणी के अंतर्गत इं.आ.यो. में नये निर्माण श्रेणी में राज्य वित्त पोषित योजना से किये जा चुके भुगतान को समायोजित कर 2012-13 के दौरान अंतरित कर दिया गया था और ₹61.15 लाख राशि की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गयी थी।

[3] तिरूवेरम्बूर, तुरय्युर एवं उप्पीलियापुरम

3.5 वस्तु सूची निर्माण

इं.आ.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 5.9 के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरणों के पास इं.आ.यो. के अंतर्गत निर्मित/उन्नयन किये गये घरों की एक संपूर्ण वस्तु-सूची होनी चाहिए, जिसमें रिहायशी इकाई के निर्माण के शुरूआत की तिथि एवं कार्य पूर्ण की तिथि के ब्यौरे जहॉ घर अवस्थित या उसके गॉव एवं ब्लॉक के नाम, लाभार्थियों के पेशे एवं श्रेणी तथा अन्य प्रासंगिक ब्यौरे शामिल हों।

हमने देखा कि घरों की वस्तु-सूची 14 राज्यों एवं एक सं.शा.क्षे. में नहीं बनाई गयी थी, उनके नाम है- **अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा (उत्तरी गोवा), जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा,** एवं **लक्षद्वीप**। **आंध्र प्रदेश** ने घरों की वस्तु सूची ठीक से बनायी थी। 2003 के पिछले नि.म.ले.प. प्रतिवेदन सं.3 में भी यह 12 राज्यों के मामले में इंगित किया गया था, यथा **अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब एवं राजस्थान**। **मिजोरम** में, चार ब्लॉकों में से केवल दो यथा तलग्नुयाम एवं खवजावल ब्लॉकों ने घरों की पूर्ण वस्तु-सूची अनुरक्षित की थी। वस्तु-सूची के अनुरक्षण में अन्य अनियमितताएं भी देखी गयी थीं जो नीचे दी गयी हैं:-

- **गुजरात** में, सूरत जिले के दो तालुके[4] और वडोदरा जिले के दो तालुके[5] में घरों की वस्तु-सूची अनुरक्षित नहीं की थी, जबकि वडोदरा जिले के दभोई तालुके में 2009-10 तक वस्तु सूची का अनुरक्षण नहीं हुआ था। 2009-10 के पश्चात अनुरक्षित वस्तु-सूची अधूरी थी क्योंकि आवश्यक सभी सूचना भरी नहीं गयी थी। आनंद, दाहोद, सुरेन्द्रनगर एवं बनस्कंठ के छः तालुको[6] के चयनित ग्रा.पं. में अनुरक्षित वस्तु-सूचियाँ भी अधूरी पायी गयी थी।

---

4 कमरेज एवं मांडवी

5 कर्जन एवं संखेड़ा

6 आनंद, तारापुर (आनंद), चोटिला, सायुला (सुरेन्द्रनगर), दांतेवाड़ा, पालनपुर (बनस्कंठ), लिम्खेड़ा, जालोद (दाहोदा),

- **नागालैण्ड** में लाभार्थियों को दिये गये सी.जी.आई. शीट से संबंधित अभिलेख को घरों के वस्तु-सूची के रूप में लिया गया था। इसने प्रत्यक्ष निरीक्षण को महत्वहीन कर दिया क्योंकि लेखापरीक्षा वास्तविक इं.आ.यो. घरों की पहचान नहीं कर पाया।
- **कर्नाटक** में, आर.जी.आर.एच.सी.एल. द्वारा विकसित किये गये सॉफ्टवेयर को ग्रा.पं. में निर्मित/उन्नयन किये गये घरों से संबंधित ब्यौरों को अभिलिखित करने में 2006-07 से ही प्रयोग में लाया जा रहा था। हालांकि, इसमें निर्माण के आरंभ की तिथि घर के बनवाने की तिथि एवं लाभार्थी द्वारा घर के अधिभोग की तिथि जैसे महत्वपूर्ण ब्यौरे अभिलिखित नहीं थे।
- **उत्तराखंड** में, सभी पांच वर्षों के लिए घरों की पूरी वस्तु सूची टिहरी गढ़वाल, यू.एस. नगर एवं देहरादून के जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा तैयार नहीं की गयी थी। इन जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा वर्ष 2008-10 के दौरान तैयार किये गये और संस्वीकृत घरों की विषय-सूची उपलब्ध थी परंतु उसे नियमित रूप से अद्यतित नहीं किया गया था।

अनुशंसाएं:

- राज्यों में घरों की कमी का आवधिक आकलन किया जाए ताकि इं.आ.यो. के अंतर्गत निधियों के आवंटन को अधिक यथार्थवादी एवं वर्तमान आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जा सके।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थायी प्रतीक्षा-सूचियों के निर्माण एवं उसके नियमित अद्यतन को सुनिश्चित कर इं.आ.यो. के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन पारदर्शी बनाया जाना चाहिए।
- लाभार्थियों के नामों के साथ मकानों की अद्यतित सूची को सभी कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा अनुरक्षित किया जाना चाहिए।